16

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 15-5-1982 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1982 की तृतीय बैठक का कार्य-वृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री बी०जे०खोदायजी | | अध्यक्ष |
| (2) | श्री आदित्य कुमार रस्तोगी | सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग। | सदस्य |
| (3) | श्री जे०पी०दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| (4) | श्री एस०डी०वर्मा | उप सचिव, वित्त | सदस्य |
| (5) | श्रीमती दीपा कौल | | सदस्या |
| (6) | श्री राम पाल सिंह | | सदस्य |
| (7) | श्री मीर मज़हर अली | सदस्य, विधान सभा | सदस्य |
| (8) | श्री माता प्रसाद | सदस्य, विधान परिषद | सदस्य |
| (9) | श्री करन सिंह | | सदस्य |
| (10) | श्री आर०एस०माथुर | आवास आयुक्त | सदस्य |

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

| क्र०सं० | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- दिनांक 30-3-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। | | 111/(1)/82 | परिषद की दिनांक 30-3-1982 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:-<br>1-मद सं0-2 परिषद की बैठक दिनांक 18-2-1982 की अनुपालन आख्या की उप मद सं0-20 में परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आगे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:-<br>'' यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक व्यय वार्षिक व्यय के आधार पर निकाला जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्माण कार्य भूमि विकास कार्य तथा भूमि अध्याप्ति कार्य के सम्बन्ध में हुये प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रखकर प्रतिशत निकाला जाय''<br>2-उसी तरह मद संख्या-2 की उप मद सं0-29 के तीसरे प्रस्तर में शब्दों को निकाल कर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद'' पूर्व और इसके स्थान पर शब्दों ''कब्जा देने से पूर्व'' लिख दिया जाय। |

क्र०प०उ०

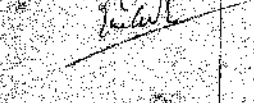

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2-परिषद की बैठक दिनांक 30-3-1982 की अनुपालन आख्या। | 111/(2)/82 | परिषद व्दारा दिनांक 30-3-1982 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित आख्या की समीक्षा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-<br><br>1-वाहनों के क्रय कराने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूरी कराने का पूर्ण प्रयास किया जाय ताकि क्षेत्रीय अधिकारियों के लिये वाहनों को क्रय कर शीघ्र उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।<br><br>इस संदर्भ में सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।<br><br>2-सहायक निदेशक(प्रचार) का पद जो बहुत अरसे से रिक्त है भरने की कार्यवाही अविलम्ब पूरी करने का निर्णय लिया गया।<br><br>3-भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित मामले तथा इससे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं के बारे में शासन स्तर पर जो बैठक प्रस्तावित है उसे शीघ्र कराने तथा शासन स्तर पर लम्बित सभी इस प्रकार के मामलों का समुचित निस्तारण कराने का निर्णय लिया गया।<br><br>परिषद को राजस्व परिषद के सदस्य के समक्ष हुई बैठक तथा इसमें किये गये विचार विमर्श तथा लिये गये निर्णयों से अवगत कराया गया। परिषद में निर्णय लिया गया कि कानपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के रिक्त पद पर शासन के नियुक्ति विभाग व्दारा शीघ्र ही तैनाती करायी जाय तथा आपस की बातचीत व्दारा भूमि अर्जित कराने के लिये यथेष्ट कार्यवाही करने के पूर्व राजस्व विभाग व्दारा उपयुक्त शासनादेश का निगर्म होना चाहिये।<br><br>4-मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये गैर-कानूनी तथा अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में सचिव, आवास ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर एक बैठक यथाशीघ्र आयोजित करायी जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि उक्त बैठक शीघ्र कराकर पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवासगृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को अविलम्ब हटाया जाय तथा जो क्षति परिषद को पहुँची है की पूर्ण तौर से प्रतिपूर्ति परिषद के पक्ष में की जानी चाहिये।<br><br>5-इन्दिरा नगर लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0-75 के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव स्तर से अविलम्ब निर्णय कराया जाय। सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने यह आश्वासन दिया कि वह सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्पर्क करके इस मामले का शीघ्र निस्तारण करायेगें।<br><br>6-परिषद की सभी निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के संबंध में सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग ने परिषद को अवगत कराया कि उनके स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र भेज दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में परिषद ने निर्णय लिया कि शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों की प्रतियाँ प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करके समस्त कालोनीज़ | |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | प्रस्तुत | के हस्तान्तरण का कार्य शीघ्र सम्पन्न कराया जाय। अगली बैठक में किन-किन कालोनियों का हस्तान्तरण होना था और वास्तव में कर दिया गया है की जानकारी परिषद को कराई जाय। |
| | | पुन | 7- परिषद के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से कराये जा रहे इस विशिष्ट कार्य को समयबद्ध तरीके से 4-5 माह के अन्दर अवश्य ही पूरा किया जाय ताकि बैलेंस शीट्स बनाने का कार्य इसके तुरन्त बाद हाथ में लेकर प्रारम्भ हो जाय और यह बन भी जाय। |
| | | अध्यावधि | यह भी निर्णय लिया गया कि समयबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा परिषद की अगली बैठक में रख दी जाय। इसके अतिरिक्त प्रगति रिपोर्ट अनुश्रवण समिति तथा परिषद के सम्मुख रखी जाय ताकि किये गये कार्य की समीक्षा भलीभांति की जा सके। |
| | | | 8- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम लश्करपुर में भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिये माननीय मंत्रीजी, आवास एवं नगर विकास के स्तर पर प्रस्तावित बैठक अब शीघ्रातिशीघ्र आयोजित कराई जाय। |
| | | | 9- जल निगम द्वारा भीमताल में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के संदर्भ में आवास आयुक्त महोदय जल निगम/ जल संस्थान के अध्यक्षों से शीघ्र ही वार्ता करलें और इस समस्या का निराकरण करायें। |
| | | | 10- ''रिवाल्विंग फण्ड'' के सम्बन्ध में गठित उप समिति की रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में रखी जाय ताकि उपयुक्त निर्णय लिया जा सके। |
| | | | 11- आवास एवं विकास परिषद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को अन्तिम रूप देने के लिये शासन स्तर पर शीघ्र ही एक बैठक करा ली जाय। |
| | | | 12- दिलकुशा में स्थित कैन्टोनमेंट बोर्ड की भूमि प्राप्त करने के लिये माननीय आवास मंत्रीजी के स्तर से भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्रीजी से संपर्क करके शीघ्रता से अनुकूल निर्णय प्राप्त करने की चेष्टा की जाये। |
| | | | 13- पिथौरागढ़ नगर के लिये चयनित स्थल का पूर्ण विवरण परिषद की अगली बैठक में रखा जाय तथा मंसूरी नगर के लिये भूमि चयन करने की कार्यवाही अविलम्ब पूरी कर ली जाय और परिषद को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जाय। |
| | | | 14- रानीखेत के लिये चयनित स्थल के बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाय और कैन्टोनमेंट बोर्ड की सीमा के बाहर जो योजना प्रस्तावित हो रही है उसके प्रस्ताव के बारे में जिला मैजिस्ट्रेट अल्मोड़ा तथा |

क्र0प030

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | शासन के नगर विकास विभाग के सचिव से संपर्क कर के प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाय कि आवासीय योजना कार्यान्वित हो जाने के बाद योजना का हस्तान्तरण तथा रख-रखाव किस नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा। |
| | | | 15- गोपेश्वर जिला चमोली में स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कराकर उपयुक्त प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| | | | 16- निर्माण कार्य हेतु पूर्ण मात्रा में सीमेंट आवंटित कराने का फिर से प्रयास किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित कोटा की सीमेंट समय से उठा ली जाती है और कोई कोटा लैप्स नहीं हो जाता है। अनुपालन आख्या देते समय पूर्ण विवरण परिषद के सम्मुख रख दिया जाय। |
| | | | 17- शाहजहाँपुर, हरिद्वार, काशीपुर तथा बरेली नगरों में परिषद की और योजनायें चलाने के लिये भूमि का चयन परिषद द्वारा निर्धारित सीमा अवधि (जून-1982) के भीतर अवश्य करा लिया जाय और निश्चित नगर-वार प्रस्तावों को परिषद की अगली बैठक में रखा जाय। |
| | | | 18- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों के आवास एवं विकास परिषदों के प्रशासनिक व्यय की स्थिति मंगा ली जाय और इसका परीक्षण कर, आख्या दी जाय। साथ ही साथ यह स्मरणीय रहे कि प्रशासनिक व्यय वार्षिक व्यय के आधार पर निकाला जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्माण कार्य, भूमि विकास कार्य तथा भूमि अध्याप्ति कार्य के सम्बन्ध में हुये प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रखकर प्रतिशत निकाला जाय। तदनुसार समयक आख्या परिषद के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। |
| | | | 19- परिषद की भवन निर्माण विनियमावली के संबंध में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र कराकर उप समिति की आख्या तथा संस्तुतियाँ परिषद की अगली बैठक में रख दी जाय। |
| | | | 20- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 के लिये अनुपयुक्त तथा अयोग्य भूमि का चयन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संदर्भ में जाँच आख्या प्राप्त कर परिषद की अगली बैठक में अवश्य रखी जाय। |
| | | | 21- शामली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, शामली के लिये अनुपयुक्त तथा अयोग्य स्थल चयन के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में जाँच आख्या परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किये जायें। |
| | | | 22- नैनीताल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के संदर्भ में शासन के पर्वतीय विकास विभाग व आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल को अनुस्मारक पत्र भेजकर उनकी सहमति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। |

क्र०प०उ०

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 23- मोदीनगर में हापुड़ रोड पर भूमि अधिग्रहण की संभावना के बारे में प्रस्ताव यथाशीघ्र परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। |
| | | | 24- निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिये जिस विस्तृत प्रोफार्मा को अपनाने का निर्णय 30-3-1982 की परिषद की बैठक में लिया गया था उस प्रोफार्मा पर विस्तृत तथा पूर्ण विवरण सहित आख्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय। |
| | | | 25- लखनऊ नगर के किसी दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग योजना में 25 भवनों का आवंटन छत निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व ही किया जाय, ताकि आवंटियों को निर्माण कार्य के दौरान हो रहे निर्माण की गुणवत्ता देखने को मिल सके। इस प्रकार यदि इस नयी पद्धति के अनुसार भवनों की गुणवत्ता में सुधार होना/परिलक्षित हो जाता है तो उसे परिषद की भावी योजनाओं में लागू करने पर विचार किया जायेगा। |
| | | | 26- दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के स्थान पर जेक आर्च की छत डालने के बारे में निर्णय परिषद की पूर्व बैठक में लिया जा चुका है कि लखनऊ की किसी योजना में इसका प्रयोग अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय। इस निर्णय को तत्परता से कार्यान्वित किया जाय। |
| | | | 27- गोरखपुर में ''सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम'' के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में रख दिया जाय। |
| | | | 28- प्राग नारायन रोड [illegible], लखनऊ की भूमि के विषय में विस्तृत जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर ली जाय और यदि उक्त योजना में समाविष्ट भूमि सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नजूल सम्पत्ति है तो नजूल सम्पत्ति की पूर्ण विवरण एकत्र कर शासन को एक निश्चित प्रस्ताव उक्त भूमि के हस्तान्तरण हेतु भेज दिया जाय। |
| | | | 29- [illegible] में यह लाया गया है कि चौक क्षेत्र में महात्मा गाँधी हास्पिटल से जो सड़क लखनऊ सिटी स्टेशन को जाती है वहां सिल्वर जुबली नर्सिंग संस्थान के पीछे अथवा इसके आसपास सम्भवतः काफी भूमि जो नजूल की है रिक्त पड़ी है। उक्त भूमि पर परिषद की योजना चलाये जाने के लिये [illegible] प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। |
| | | | 30- लखनऊ नगर में माननीय विधायकों के लिये ''सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम'' के [illegible] के निर्माण के संदर्भ में शासनादेश शीघ्र प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। |
| | | | 31- सुल्तानपुर में आवासीय योजना चलाने के लिये जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से संपर्क करके स्थल का चयन शीघ्र ही किया जाय और [illegible] अवगत कराया जाय। |
| | | | [illegible] सीतापुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखीमपुर-खीरी में समाविष्ट ''कैथोलिक डायसिस'' की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तावित |

क्र0प0उ0

वार्ता शीघ्र सम्पन्न कराके वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।

33- देवपुर पारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखनऊ के सम्बन्ध में विचार तथा निर्णय लेने के पूर्व और राजाजीपुरम् कालोनी को जन साधारण में अधिक लोकप्रिय बनाने के सिलसिले में ''राजाजीपुरम् एप्रोच रोड योजना, बनाई जानी चाहिये इस योजना को तैयार कर परिषद की अगली बैठक में रखवाने की व्यवस्था कीजाय।

34- परिषद की विभिन्न वर्षों का बजट और पक्का चिट्ठा (Balance Sheet) विधान मण्डल के दोनों सदनों के पटल पर रखने के संदर्भ में अब तककी गई कार्यवाही की सूचना परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

35- वर्ष-1982-83 तथा आने वाले वर्षों के आय व्ययकों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि परिषद की बैठकों में प्रत्येक त्रैमास में होने वाले आय-व्ययक के आंकड़े और मोटे मदवार व्यय की स्थिति रख दी जाय। परिषद की बैठक में रखने के पूर्व इसकी समीक्षा परिषद की अनुश्रवण समिति किया करेगी।

36- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के संदर्भ में परिषद की बैठक दिनांक 30-3-1982 में लिये गये निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र ही सम्पन्न करायी जाय।

37- श्री आर०सी०सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता व्दारा प्राप्तसिविल इन्जीनियरिंग की डिग्री शासन व्दारा मान्यता प्राप्त न होने के सम्बन्ध में परिषद को इस मामले की पृष्ठभूमि तथा सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराया गया। एक तथ्यात्मक टिप्पणी जिसमें परिषद के विधि अधिकारी का मत है परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुई। परिषद ने इस मामले में गहन रूप से विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विधि अधिकारी की राय को देखते हुये और इस बात को भी देखते हुये कि श्रीसक्सेना की सेवाओं का संविलियन परिषद में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया गया था अतएव परिषद के समक्ष अन्य कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाय। परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम समिति को परिषद के इस निर्णय से अवगत करा दिया जाय।

| | | |
|---|---|---|
| 3-इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर-5 व 6 के बीच ग्रीन बेल्ट में प्रस्तावित सब्जी मण्डी के यूरिनल का निर्माण। | 111/(3)/82 | परिषद व्दारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यूरिनलों के स्थान पर शौचालयों का निर्माण कराया जाय और तदर्थ परिषद के समक्ष संशोधित प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |

कृ०प०उ०

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | यह भी निर्णय लिया गया कि सैक्टर-5 व 6 के बीच ''ग्रीन वर्ज'' में फ्लेट फोर्मस के निर्माण के पश्चात् ग्रीन वर्ज के क्षेत्र में जो कमी आये उसे योजना के अन्य क्षेत्र से पूरा कराया जाय तथा ग्रीन वर्ज का पूरा क्षेत्र अगली वर्षा की ऋतु के दौरान पेड़ पौधों से आच्छादित कर दिया जाय। |
| 4- | परिषद द्वारा प्रदिष्ट सम्पत्ति के प्रदिष्टी की मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति को उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में करने के संबंध में। | 111/(4)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिला जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का प्राविधान समाप्त करना उचित नहीं है। केवल इतना संशोधन विनियमों में कर दिया जाय कि जिला जज का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना उसी दशा में आवश्यक होगा जबकि सम्पत्ति का मूल्य रू0 20,000/= अथवा इससे अधिक होगा। |
| 5- | अवशेष रिक्त सम्पत्ति के प्रदेशन में उसी योजना के विस्थापित को वरीयता। | 111/(5)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के बाद सर्व-सम्मति से निर्णय लिया कि अवशेष रिक्त सम्पत्तियों का प्रदेशन करते समय उसी योजना के विस्थापितों को वरीयता देने हेतु प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में विधि अधिकारी की राय ले ली जाय और संशोधन का प्रारूप परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| 6- | राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ में श्री गुरू सिंह सभा को गुरूद्वारे हेतु भूमि का प्रदेशन। | 111/(6)/82<br>परिषद के वर्तमान मापदण्ड<br>[initials] | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री गुरू सिंह सभा को उनके आवेदन-पत्र में लिखे गये प्रयोजनों हेतु भूमि का प्रदेशन ~~वर्तमान परिषद का रेट~~ जो योजना के लिये प्रचलित है के अनुसार कर दिया जाय। |
| 7- | झूंसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-3 इलाहाबाद (क्षेत्रफल 200 एकड़, अनुमानित लागत रू0 320·740 लाख) | 111/(7)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 8- | बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान-योजना, बांदा (क्षेत्रफल-34 एकड़ अनुमानित लागत 38·43 लाख) | 111/(8)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में समाविष्ट खसरा नं0-972 जो नजूल सम्पत्ति है और जिसे जिलाधिकारी ने अपने स्तर से हाल सिंचाई खण्ड, बांदा को हस्तान्तरित कर दिया है को भी परिषद की योजना में सम्मिलित करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। |
| 9- | खुरजा पहासु रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 खुरजा, जिला बुलन्दशहर क्षेत्रफल 89·90 एकड़ एवं अनुमानित लागत रुपये 174·75 लाख) [initials] | 111/(9)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |

[signature]

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10- | शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, शाहाबाद जिला-हरदोई (क्षेत्रफल-28 अनुमानित लागत रु0 32.898 लाख) | 111/(10)/82 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। परिषद द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा योजना की भूमि में से नयी तहसील शाहाबाद के भवनों तथा प्रांगण हेतु 7.791 एकड़ भूमि की मांग की गई है के बारे में विचार-विमर्श आवास आयुक्त महोदय जिलाधिकारी, हरदोई से करेंगे और अपने सुस्पष्ट विचार से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायेंगे। |
| 11- | सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, बदायूं (क्षेत्रफल 121.73 एकड़ अनुमानित लागत रु0 ..2.24 लाख) | 111/(11)/82 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। |
| 12- | भेलूपुरा योजना, वाराणसी में 480 अल्प आय वर्ग 1/81 डिजाइन के चार मंजिले भवनों का निर्माण (अनुमानित लागत रुपये-101.40 लाख) | 111/(12)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। |
| 13- | हडको द्वारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम - नेहरू नगर देहरादून (स्कीम नं0-1996-सी0 (हडको ऋण की स्वीकृति रुपये 40.23 लाख) | 111/(13)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 14- | हडको द्वारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम रुद्रपुर (स्कीम नं0-1998-सी0 हडको ऋण स्वीकृति रुपये 25.12 लाख) | 111/(14)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। |
| 15- | चतुर्थ हडको कम्पोजिट प्रोजेक्ट शाहपुर योजना सं0-1 गोरखपुर (स्कीम नं0-1999-सी0-हडको ऋण स्वीकृति रुपये 35.02 लाख) | 111/(15)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। |
| 16- | हडको द्वारा वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पो0हाउसिंग स्कीम रुड़की (स्कीम नं0-1997-सी0-हडको ऋण स्वीकृति रुपये 34.69 लाख) | 111/(16)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 17- | उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 का विनियम-25 के अन्तर्गत पट्टों की अवधि समाप्त होने से पूर्व पट्टे का नवीनीकरण। | 111/(17)/82 | परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के पूर्व नवीनीकरण हेतु जो ''गाइड लाइन्स'' बनायी गयी है उसके क्रम सं0-3 में जहाँ यह लिखा है कि किसी शर्त का उलंघन करने पर पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा वहाँ यह लिख दिया जाय कि ऐसा होने पर पट्टे का नवीनीकरण |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | सामान्यतः नहीं किया जायेगा। क्रम संख्या-4 के स्थान पर निम्न प्राविधान ''गाइड लाइन्स'' में रख दिया जाय:- '' पट्टे का नवीनीकरण परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा;''। |
| 18- | प्रदेशन तथा पंजीकरण सम्बन्धी मामलों में उप आवास आयुक्त को आवास आयुक्त के अधिकारों का प्रतिनिधान। | III/(18)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 19- | गदरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गदरपुर जिला-नैनीताल (क्षेत्रफल-23·30 एकड़ अनुमानित लागत 36·375 लाख) | III/(19)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि नियोजन समिति की संस्तुतियों के प्रस्तर-4 में जिस भूमि को योजना हित में पृथक योजना बनाकर अर्जन करने की संस्तुति की गयी है उसके बारे में तत्काल कार्यवाही की जाय। |
| 20- | अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 अमरोहा जिला मुरादाबाद (क्षेत्रफल 10·68 एकड़ अनुमानित लागत 14·66 लाख)। | III/(20)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 21- | अमरोहा शहर में श्रीमती [illegible] देवी भट्ट की भूमि को आवास योजना हेतु क्रय करने के संबंध में। | III/(21)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि प्रश्नगत भूमि पर योजना चलाना उपयुक्त नहीं है। |
| 22- | देहली रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, हरिद्वार में समाविष्ट श्री हरि कृष्ण गोयल की भूमि सं0-588 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में। | III/(22)/82 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि योजना में समाविष्ट श्री हरि कृष्ण गोयल की भूमि सं0-588 अर्जन से अवमुक्त कर दी जाय लेकिन शर्त यह रहेगी कि इस भूखण्ड में निर्माण का हिस्सा छोड़ कर जो शेष खुली भूमि है का प्रयोग केवल खुली भूमि के रूप में ही किया जायेगा। |
| 23- | परिषद में इक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की नियुक्ति के सम्बन्ध में। | III/(23)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। यह भी निर्णय लिया गया कि फिलहाल केवल 2 प्रशिक्षार्थी इस योजना के अन्तर्गत लिये जायें। |
| 24- | गढ़रोड मेरठ की योजना सं0-7 में प्रेम पीयूष परिषद को धार्मिक संस्थान खोलने हेतु भूमि का प्रदेशन। | III/(24)/82 | परिषदद्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रेम पीयूष परिषद जो दो विशिष्ट भूखण्ड योजना के आवासीय क्षेत्र में हैं में ही से भूमि लेना चाहती है को प्रश्नगत भूमि आवंटित करना संभव नहीं होगा। इसकी सूचना प्रेम पीयूष परिषद को दे दी जाय। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25- इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में श्रीमती कृष्ण माथुर की आपत्ति जो बसरा प्लान पर दर्शाई गई सड़क के बीच में निर्मित भवन को अर्जन से मुक्त करने के विषय में है। | 111/(25)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त टिप्पणी में दिये गये प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में अन्य निर्माणों के साथ उपयोग हेतु आवश्यक भूमि छोड़ने हेतु जो मानक तैयार किये गये हैं उसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखाकर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। | |
| 26- वृन्दावन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (क्षेत्रफल-81.825 एकड़ अनुमानित लागत रु0 70.223 लाख) के सम्बन्ध में नियोजन समिति की आख्या पर विचार। | 111/(26)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। परिषद ने निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा-31(1) के अन्तर्गत परिष्कार रहित स्वीकृति देती है और यह निर्णय भी लिया कि शासन का आदेश अधिनियम की धारा-31(2) के अधीन प्राप्त किया जाय। | |
| 27- हाथरस भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 (क्षेत्रफल67 एकड़ अनुमानित लागत रु0 157 लाख) के सम्बन्ध में नियोजन समिति की आख्या पर विचार। | 111/(27)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। परिषद ने निर्णय लिया कि अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत परिष्कार रहित स्वीकृति देती है और यह निर्णय भी लिया कि शासन का आदेश अधिनियम की धारा-31 (2) के अधीन प्राप्त किया जाय। | |
| 28- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन (क्षेत्रफल लगभग 660.00 एकड़ तथा कुल अनुमानित लागत रुपये 18.50 करोड़) | 111/(28)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। | |
| 29- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन (क्षेत्रफल लगभग 2127.00 एकड़ तथा कुल अनुमानित लागत रुपये 59.63 करोड़) | 111/(29)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली राज्य की सीमा तक की अवशेष भूमि जो योजना की भूमि से निकट है को भी अधिग्रहण करने के लिये प्रस्ताव शीघ्रताशीघ्र तैयार कर परिषद के समक्ष लाया जाय। | |
| 30- इन्दिरा नगर योजना के अन्तर्गत निर्मित 192 पक्के चबूतरों के मूल्यांकन में कमी का संशोधन किया जाना। | 111/(30)/82 | परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और 30-6-1982 तक मूल्य प्रति चबूतरा रु0 7000 रहेगा। | |
| Engg 31- कारपोरेट प्लान पर विचार | 111/(31)/82 | कारपोरेट प्लान पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से तैयार किये गये प्लान की सराहना की और यह निर्णय लिया कि कारपोरेट प्लान के ही आधार पर भविष्य में योजनायें चलाने हेतु समय समय पर परिषद के सम्मुख प्रस्ताव रखे जाने चाहिये।<br>प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने के लिये निम्न मार्ग दर्शन निर्देश दिये गये:-<br>1- सभी जिला मुख्यालय, जो अधिसूचित है तथा अन्य ऐसे नगर जहां पंजीकृत मांग है, पंजीकृत लोगों की संख्या की वरीयताक्रम के अनुसार जैसे जैसे भूमि उपलब्ध होती जाय परिषद की योजनायें चलायी जायें। | |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 2- जिन जिला मुख्यालय के नगरों में अधिसूचित होने के बावजूद भी अभी तक पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जाय और तदनुसार माँग का आंकलन कर भूमि अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की जाय। |
| | | | 3- अन्य ऐसे नगरों में जहाँ भूमि अधिग्रहीत हो गयी है अथवा शीघ्र अधिग्रहीत होकर मिलने की संभावना है वहाँ भी पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय। |
| | | | यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मार्ग दर्शन निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर अगली बैठक में निश्चित प्रस्ताव रखा जाय कि कहाँ-कहाँ और कब से परिषद की योजनायें भविष्य में चलायी जायेंगी। उपरोक्त प्रस्तावों के सहित कारपोरेट प्लान में दिये गये विकल्प सं०-1 को अपनाने का निर्णय लिया गया और प्लान में प्रस्तुत किये गये अन्य सभी प्रस्तावों को सिद्धान्तः स्वीकार किया गया। |
| 32- | भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 गाजियाबाद की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन (योजना का क्षेत्रफल लगभग 1640.00 एकड़ तथा कुल अनुमानित लागत रुपये 38.74 करोड़) | 111/(32)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। |
| 33- | मीराबाई मार्ग, लखनऊ की योजना के अन्तर्गत निर्मित बहुखण्डीय भवन के प्रदेशन हेतु समिति का गठन किया जाना। | 111/(33)/82 | परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 34- | अवर अभियन्ताओं (सिविल) में से सहायक अभियन्ताओं के पदों पर प्रोन्नति हेतु ''कम्प्यूटरशिप'' के प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना। | 111/(34)/82 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। |

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई

[signature]
2/9/1982
अध्यक्ष